

सं. सं. राबैं. पुनर्वित्त(चीनी कक्ष) /138/एथनोल-1/2020-21

01 June 2020

परिपत्र सं.145/पुनर्वित्त-42/2020

अध्यक्ष The Chairman

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक All Scheduled Commercial Banks

सभी राज्य सहकारी बैंक All State Cooperative Banks

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक All Regional Rural Banks

सभी शहरी सहकारी बैंक All Urban Cooperative Banks

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम National Cooperative Development Corporation

प्रिय महोदय

एथनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विस्तार करने हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता योजना
Scheme for extending financing assistance to Sugar Mills for
Enhancement and Augmentation of Ethanol Production Capacity

कृपया 12 अक्टूबर 2018 का हमारा परिपत्र सं 263/ पुनर्वित्त - 67/ 2018 देखें जिसके साथ उपर्युक्त योजना के परिचालनात्मक दिशानिर्देश और 03 अक्टूबर 2019 का परिपत्र सं.279/ पुनर्वित्त-76/2020 देखें जिसमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग(डीएफपीडी), भारत सरकार ने परिचालनात्मक दिशानिर्देशों के पैरा 5(ii) में अब संशोधन किए हैं. अब इन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

2. आवेदक को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से सैद्धांतिक अनुमोदन

Please refer to our circular No. 263/DoR-67/2018 dated 12 October 2018, forwarding therewith operational guidelines of the captioned Scheme and No.276/DoR-76/2020 dated 03 October 2019, forwarding clarification thereof. Department of Food and Public Distribution (DFPD), Government of India, has since revised Para 5 ii of the operational guidelines which may now be read as under:

2. "The applicant should get the loan disbursed from the bank within **two**

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org


प्राप्त होने के बाद दो वर्ष के भीतर बैंक से ऋण वितरण करवाना होगा, अन्यथा सैद्धांतिक अनुमोदन रद्द हो जाएगा. योजना की अधिसूचना की तिथि के बाद किन्तु निर्धारित अंतिम तिथि के भीतर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को प्रस्तुत आवेदनों के मामले में आवेदकों को डीएफपीडी के सैद्धांतिक अनुमोदन से पहले ऋण वितरित किए गए हैं वे भी योजना के अधीन ब्याज सुविधा के लिए पात्र होंगे. साथ ही, बैंक से ऋण की पहली किस्त जारी किए जाने की तिथि के बाद दो वर्ष के भीतर यह परियोजना पूरी कर लेनी चाहिए.

3. कृपया अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी शाखाओं/ नियंत्रक कार्यालयों/ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को उपर्युक्त स्पष्टीकरण से अवगत कराएं.

years from the date of in-principle approval of DFPD, failing which the in-principle approval for the project will stand cancelled. **The applicants which have submitted their applications to DFPD after the date of notification of the scheme but within the cut-off date prescribed in the notification dated 19.07.2018 and in case of whom, loans were disbursed to them prior to the in-principle approval of DFPD, will also be eligible for interest subvention under the Scheme.** Further, the project should be completed within two years from the date of disbursement of first instalment of loan from bank.”

3. You are requested to bring the above clarification to the notice of all the branches/Controlling Offices/DCCBs under your jurisdiction.

भवदीय



जि जि माम्मेन

मुख्य महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward